

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 115 / प्र0अ0(त0स0) / जोन-2 / प्रस्ता0 / 2014-15 दिनांक 16/03/2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 राम औतार जायसवाल एवं श्रीमती रूपा जायसवाल पत्नी श्री राजेश कुमार जायसवाल द्वारा भवन सं0-130/114 हीवेट रोड (विवेकानन्द मार्ग) इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 02 अद्व वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों के अनुरूप ही किया जाय।
6. प्रस्तुत मानचित्र स्टिल्ट पार्किंग, प्रथम तल पर शॉप, द्वितीय एवं तृतीय तल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है, तदनुसार ही निर्माण कार्य किया जाना बाध्यकारी होगा।
7. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त/नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन शपथकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
8. भविष्य में यदि स्वामित्व के बिन्दु पर किसी न्यायालय द्वारा डीड निरस्त की जाती है या अन्य किसी विवाद के कारण स्वामित्व पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त (बिना किसी कारण बताओ नोटिस के) कर दिया जायेगा। मानचित्र की स्वीकृति से भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किया जा सकता है।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


राजेश कुमार

18/3/2016

(पुष्कर श्रीवास्तव)

विशेष कार्याधिकारी

ar



क लोडिंग/निर्मित बनाना है। पूर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर का वास्तविक उपयोग किया जा सकेगा।

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.

1. DOOR D	1000X2400
2. DOOR D1	900X2400
3. DOOR D2	750X2400
4. WINDOW W	1500X2000
5. WINDOW W1	900X2000
6. VENT. V	750X600

AREA DETAIL :-

TOTAL AREA OF PLOT	= 226.38 SQ. MT.
LAND LEFT FOR ROAD WIDENING	= 38.60 "
NET PLOT AREA	= 187.78 "
PROP. COVD. AREA ON Basement	= 52.19 "
PROP. COVD. AREA ON STILT FLOOR (parking)	= 75.00 "
PROP. COVD. AREA ON FIRST FLOOR	= 75.00 "
PROP. COVD. AREA ON SECOND FLOOR	= 75.00 "
PROP. COVD. AREA ON THIRD FLOOR	= 75.00 "
OPEN AREA G.F.	= 113.30 "
MUMTY AREA	= 25.59 "

GROUND COVERAGE = 40.00%
 F.A.R. = 1.75
 F.A.R. ACHIVED = 120

EXISTING WORK SHOWN THUS
 PROPOSED WORK SHOWN THUS

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS 2008 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

NORTH :



SCALE - 1:100

TITLE :

PROPOSED COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF HOUSE NO. - 130/114 MOHALLA HEWET ROAD (VIVEKA NAND MARG) DISTT. ALLAHABAD.

OWNER -

SRI. RAJESH KUMAR JAISWAL AND - SMT. RUPA JAISWAL

SIG. OWNER

SIG. ENG.

M. S. Sinha 27/11/16
 SRIVASTAVA ENGINEERS ASSOCIATES
 DR. MAYANK SRIVASTAVA
 PH.D., M.TECH. (STRUCTURE), M.B.A.
 F.I.V., M.I.C.I., M.I.E.(I), C.E.(I)
 MEMBERSHIP No. M126592-4
 THE INSTITUTION OF ENGINEERS (INDIA)

